न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1. जमनालाल पुत्र हरभान जाति ब्राह्मण निवासी गौलारा तहसील मासलपुर जिला करौली
2. हटीला पुत्र मुरली ब्राह्मण निवासी गौलारा तहसील मासलपुर जिला करौली(फौत)
3. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा करौली — अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 195 6

निर्णय

दिनांक–22.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 1–05 बीघा ग्राम गौलारा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 1–05 बीघा ग्राम गौलारा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 तक के खाता सं 76 किस्म गै.मु. नाला से श्री हटीला पुत्र मुरली जाति ब्राह्मण निवासी गौलारा के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में जरिए रजिस्टर्ड वसीयत जमुनालाल पुत्र हरभान जाति ब्राह्मण निवासी गौलारा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195 5 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 1–05 बीघा बाके ग्राम गौलारा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–2076 नामांतरकरण संख्या 9 दिनांक 21.02.1970, नां0 सं0 132 दिनांक 20.08.1998 व 02.05.2000, नां0 सं0 145 दिनांक 29.10.2001 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स का मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है में खसरा नंबर 95 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा का ग्राम गौलारा तहसील मासलपुर में स्थित होना स्वीकार है। बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है। गलत है। स्वीकार नही है। खसरा नंबर 95 के सम्वत 2015 में व उसके पश्चात किस्म गैर मुमकिन नाला सेटिलमेंट सम्वत 2015 में अनाधिकार रूप से बिना आधार सेटिलमेंट कर्मियों द्वारा गलत दर्ज की है जबकि सम्वत 2015 से पूर्व उक्त आराजी नाला भूमि नही रही है बल्कि काबिल काश्त गौडा खाकी भूमि रही है और सम्वत 2010 से 2013 में उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 83 व 96/3 रहे हैं जो अप्रार्थी के वसीयतकर्ता हटीला पुत्र मुरली व उसके बडा भाई रामहेत पुत्र मुरली के खातेंदारी व कब्जे काश्त रही है। उक्त भूमि सम्वत 2015 से पूर्व सरकारी भूमि नाला भूमि सरकारी सिवायचक नही रही है। खसरा नं. 83 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा व खसरा नंबर 96 मिन रकबा 01 विस्वा से मिलकर वक्त सेटिलमेंट सम्वत 2015 में खसरा नंबर 95 बना है जिसके मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 व खसरा गिरदावरी संवत 2010

जिला कलक्टर
करौली

से 2013 जबाव रेफरेन्स के साथ प्रस्तुत है। हटील द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी जबावदार के हक में दिनांक 04.06.1984 को 4/– रूपये के दो किता स्टाम्प पर तहरीर कराकर दिनांक 20.06.1984 को वसीयतनामा सब रजिस्ट्रार मासलपुर के समक्ष पंजीयन कराया है। अप्रार्थी मृतक हटीला का वैद्य वसीयती वारिस है। हटीला का भाई लाऔलाद फौत हटीला के जीवनकाल में सन 1964 में फौत हो चुका है। अप्रार्थी जवाबदार खसरा नंबर 95 पर हटीला व रामहेत के जीवनकाल व पूर्ण खातेदारी के अनुसार हटीला को उक्त आराजी खसरा नंबर 95 को नियमन (रेगूलाईज) की गयी है और नियमन आदेश के तहत हटीला के हक में नामांतरकरण संख्या 9 दिनांक 20.02.1970 को स्वीकृत हुआ है। हटीला का कब्जा काश्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्त कर रहा है। खसरा नंबर 95 के सम्वत 2015 वक्त सैटिलमेंट हुये अनाधिकार इन्द्राज हक हकूक हटीला व अप्रार्थी पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर व प्रभावहीन है और बाध्यकारी नही है। सेटिलमेंट विभाग व कर्मियों को पूर्व राजस्व इन्द्राज को बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय या आदेश के बदलने का परिवर्तित करने का विधिक अधिकार नही है बल्कि सैटिलमेंट से पूर्व राजस्व रिकार्ड खातेदारी इन्द्राज का रिपीट (पुनरावृति) करने का दायित्व है। सेटिलमेंट द्वारा भूमि को अनाधिकार सिवायचक नाला भूमि दर्ज किया गया है जिसके लिये अप्रार्थी सक्षम न्यायालय में घोषणा की कार्यवाही करेगा। रेफरेन्स अनाधिकार है। विधि सम्मत नही है और खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी भूमि का वैद्य खातेदार काश्तकार है। रेफरेन्स का मद नं. 2 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। सम्वत 2015 में खसरा नं 95 के सेटिलमेंट कर्मियो व सेटिलमेंट विभाग द्वारा अनाधिकार नाला भूमि का इन्द्राज किया है जो अवैद्य व गलत है। भूमि कभी भी नाला भूमिया सरकारी सिवायचक भूमि नही रही है। सम्वत 2015 से पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड प्रार्थी लैण्ड होल्डर द्वारा पत्रावली में खसरा नंबर 95 का नाला भूमि होने का या सरकार सिवायचक भूमि नही रही है। ना ही नाला भूमि होने का या सरकार भूमि होने का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। भूमि अप्रार्थी के वसीयतकर्ता हटीला की अन्य आराजीयात के साथ एक चक है। काबिल काश्त भूमि है और रामहेत व हटीला के खातेदारी की पुश्तैन भूमि है। मौके पर कोई नाला नही है। ना कभी रहा है। अप्रार्थी जवाबदार के वसीयतकर्ता हटीला के हक में पुराने कब्जा के तहत ही विधिवत नियमन हुआ है। क्यों कि भूमि सेटिलमेंट से पूर्व हटीला व हटीला के भाई रामहेत के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। रेफरेन्स वेग व निराधार है और खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नंबर 3 जिस तौर पर दर्ज है। गलत है स्वीकार नही है। भूमि पर हटीला व रामहेत का कब्जा काश्त बतौर खातेदार दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही रहा है। धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नही होते है क्योंकि भूमि नियमन से पूर्व सम्वत 2010 से 2013 में भी रामहेत व हटीला के खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है। नियमन विधिवत कब्जा व खातेदारी के तहत सेटिलमेंट भूल को दुरूस्त करने की नीयत से किया गया है। दिनांक 15.10.1955 से पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। स्वयं लैण्ड होल्डर प्रार्थी द्वारा नियमन कब्जा के तहत किया गया है। प्रार्थी अपने एक्ट अपोन से एस्टोप्ड है। रेफरेन्स इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नंबर 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। इस मद में दर्ज प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड रिटकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजसथान में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर यह निर्णय पारित किया था। जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15. 08.1947 कोई राजस्व रिकार्ड रेफरेन्स के साथ पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि दिनांक 15.08.1947 को खसरा नंबर 95 नाला भूमि रही हो इस स्थिति में भी रेफरेन्स प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नही है और खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नंबर 5 जिस तौर पर दर्ज है बाबत सहायत है। प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है जिससे भूमि दिनांक 15.08. 1947 को नाला भूमि सरकारी भूमि रही हो और उक्त आराजी दिनांक 15.10.1955 सम्वत 2010 से 2013 में रामहेत, हटीला पुत्र मुरली जाति ब्राह्मण निवासी गौलारा के खातेदारी व कब्जे काश्तकारी भूमि रही है। हटीला द्वारा अप्रार्थी के हक में वसीयतनामा रजिस्टर्ड किया है। अप्रार्थी हटीला का वसीयती वारिस है। रामहेत, हटीला के जीवन काल में लाऔलाद फौत हुआ है। सेटिलमेंट सम्वत 2015 के इन्द्राज अनाधिकार है। विधि विरूद्ध है और अप्रार्थी व मृतक

जिला कलक्टर 24/9/19
करौली

रामहेत व हटीला पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है। बाध्यकारी नही है। सम्वत 2015 के अनाधिकार इन्द्राज को अप्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में आर.आर.टी. 2018(2) पृष्ठ संख्या 1030 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम भंवरलाल वगै. में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि इन्द्राज परिवर्तित करने का सैटलमेण्ट को अधिकार नहीं है। इन्द्राज दर्ज करने में त्रुटि को धारा 136 के अंतर्गत सही किया जा सकता है। रेफरेन्स 50 साल की अवधि के बाद काफी लम्बें अर्से के बाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुसार चलने योग्य नही है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का कथन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के फौत होने एवं उसके वारिस के पूर्व से ही रिकार्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हजफ किया जाता है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2010–2013 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गोंडाखाकी दर्ज थी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 1–05 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 233 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 95 किस्म बारानी–3 रकबा 1–05 चिरमोली पुत्र लोहरे जाति ब्राह्मण निवासी गौलारा के नाम दिनांक 12.02.1987 को गैरखातेदारी के रूप में स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 95 किस्म बारानी–3 रकबा 1–05 कलुआ पुत्र चिरमोली, गोरधनी बेवा चिरमोली जाति ब्राह्मण अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन संवत् 2015 एवं उसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195 5 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 195 6 स्वीकार किया जाकर ग्राम गौलारा की आराजी खसरा नंबर 95 रकबा 1–05 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

22/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली